प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 06.10.2021

दिनांक 01/02.10.2021 की रात्रि को थानाक्षेत्र हथिगवां के ग्राम बलीपुर में हुई एक बृद्ध महिला संवारा देवी हत्याकाण्ड का सफल अनावरण, हत्या कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपद में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के थाना हथिगवां पुलिस को दिनांक 01/02.10.2021 को थानाक्षेत्र हथिगवां के ग्राम बलीपुर में हुई एक बृद्ध महिला संवारा देवी हत्याकाण्ड का सफल अनावरण करते हुये घटना से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. अटल बिहारी उर्फ अवनीश पुत्र रामचरन नि0 बलीपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
02. महेश पुत्र हरिवशं नि0 बलीपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 02 अदद लाठी (आलाकत्ल)।
02. 01 अदद सैण्डल (अभियुक्त अटल बिहारी की)

दिनांक 01/02.10.2021 की रात्रि को थानाक्षेत्र हथिगवां के ग्राम बलीपुर में एक बृद्ध महिला सवारां देवी पत्नी स्व0 अमरपाल सरोज उम्र लगभग 70 वर्ष की उनके घर पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में वादी दीनानाथ सरोज की तहरीर पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 195/21 धारा 302 भादवि** का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण व सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना हथिगवां पुलिस को कड़े निर्देश दिये गये थे। **इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री रोहित मिश्र व क्षेत्राधिकारी कुण्डा** के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस टीमें गठित कर लगातार साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों से अभियुक्त अटल बिहारी व महेश का नाम प्रकाश में आया। इसी क्रम में थानाध्यक्ष हथिगवां श्री दूधनाथा सिंह यादव मय हमराह द्वारा आज दिनांक 06.10.2021 को उक्त अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त 01. अटल बिहारी उर्फ अवनीश 02. महेश पुत्र हरिवंश के थानाक्षेत्र हथिगवां के ग्राम बलीपुर से गंगा कछार जाने वाले मार्ग पर बनी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण–

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग शराब पीने के आदी हैं, लोग लाज की डर से प्रायः शराब लेकर एकान्त पाकर संवारा देवी के घर उनके नल के पास बैठकर हम दोनो शराब पीते थे। संवारा देवी (मृतका) व उनकी बहू द्वारा इस बात का विरोध किया जाता था, संवारा देवी हम लोगों को देखकर अनाप–सनाप बोलती थी। दिनांक 01.10.2021 की रात्रि लगभग 07:30 बजे हम दोनो शराब लेकर संवारा देवी के छप्पर के पास पहुंचे कि संवारा देवी की बहू घर से फसल की रखवाली करने जाने वाली थी, ने आपत्ति करते हुए कहा कि आप लोग कहीं और जाकर शराब पियो, और बोलते हुए फसल की रखवाली करने चली गई। उसके बाद सवांरा देवी भी आपत्ती करने लगी, परन्तु हम लोग बैठकर शराब पीते रहे, सवांरा देवी बार–बार कह रही थी कि तुम लोग जाओं मुझे सोना है, वरना तुम्हारे घर वालों को बुलवा दूंगी। संवारा देवी द्वारा बार–बार यह बात दोहराने पर हम दोनो लोगों ने कहा बुढ़िया बहुच चिक–चिक कर रही है, इसे आज ठीक ही करना पडेगा। इसके बाद महेश द्वारा अपनी लाठी से एक लाठी मारी, इस पर सवांरा देवी चिल्लाना चाही तो हम लोगों ने लाठी से मारपीट दिये, जिससे उसके शरीर की हरकत बन्द हो गई तो हम लोगों ने पास में पड़े रजाई गद्दे से उसके शरीर को ढ़क दिया और वहां से जल्दी–जल्दी में भाग गये, जिससे हड़बडाहट में महेश की लाठी व मेरे एक सैण्डल वहीं पर छूट गया। दूसरी लाठी व सैण्डल को हमने पास के खेत में छुपा दिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर उक्त लाठी व सैण्डल को बरामद कर लिया गया है।

<u>पुलिस टीम</u> – थानाध्यक्ष श्री दूधनाथ सिंह यादव, मु0आरक्षी दुर्गा प्रसाद पाण्डेय, आरक्षी विकास गौड व आरक्षी विपिन यादव थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

<u>प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 06.10.2021 (थाना अन्तू)</u>

<u>लगभग 60 लाख रू0 कीमती 03 क्विंटल 30 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा, एक अदद ट्रक सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में थाना अन्तू पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अन्तू के किठावर से प्रतापगढ़ जाने वाले मार्ग पर पश्चिम गांव पोखरे के पास से एक अदद डीसीएम ट्रक नं0 पीबी 10 सीआर 9292 से लगभग 60 लाख रू0 कीमती **03 क्विंटल 30 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ** 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–</u>

01. मलकीत सिंह पुत्र स्व0 गुरूमुख सिंह नि0 एचइ 175ए, जमालपुर कालोनी, लुधियाना ग्रामीण, पंजाब।
02. मोनू कुमार पुत्र स्वदेशी म0नं0 227, खोखा मार्केट, जमालपुर, लुधियाना ग्रामीण, पंजाब।

<u>बरामदगी–</u>

01 – **03 क्विंटल 30 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रु0)**
02 – एक अदद डीसीएम ट्रक नं0 पीबी 10 सीआर 9292।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री प्रकाश द्विवेदी के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभय कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में कल दिनांक 05.10.2021 की रात्रि में थाना अन्तू पुलिस व जनपद की स्वाट/सर्विलांस टीम के द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र अन्तू के किठावर से प्रतापगढ़ जाने वाले मार्ग पर पश्चिम गांव पोखरे के पास एक डीसीएम ट्रक को रोकने का इशारा किया गया, इस पर ट्रक चालक द्वारा पुलिस टीम को देखकर ट्रक को तेजी से रोक दिया गया तथा गाड़ी से कूदकर 02 व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक ने अपना नाम मलकीत सिंह बताया जो कि ट्रक मालिक/चालक है तथा दूसरे ने अपना नाम मोनू कुमार बताया जो ट्रक का खलासी है। पुलिस द्वारा उक्त डीसीएम ट्रक से लगभग 60 लाख रू0 कीमती **03 क्विंटल 30 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद** किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 407/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

<u>पूछताछ का विवरणः–</u>

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि **हमने गाड़ी में सोनपुर उडीसा से तिली का तेल लोड किया है, जिसे हमे लुधियाना ले जाना है। सोनपुर उडीसा में ही ट्रक लोड करते समय हमसे एक व्यक्ति मिला जो अपने को लुधियाना का बताते हुए यह कहा कि तुम लोग लुधियाना ही जा रहे हो तो मेरा 03 क्विंटल गांजा भी लिये जाओ जिसके लिए बतौर किराया 12 हजार रू0 व डिलेवरी करने पर 32 हजार रू0 डीजल भराने को दूंगा। हम दोनों पैसों की लालच में आकर उसका माल ले जाने का तैयार हो गये और ट्रक में उक्त गांजा लादकर लुधियाना जा ही रहे थे कि आप लोगों ने हमे यहां पकड़ लिया।**

पुलिस टीम–

- **क्षेत्राधिकारी** नगर श्री अभय कुमार पाण्डेय, **थानाध्यक्ष अन्तू श्री अर्जुन सिंह, उ0नि0 अहसानुलहक खां, मु0आरक्षी गोरे लाल पाण्डेय, आरक्षी गौरव सिंह,** आरक्षी पुष्पेन्द्र, आरक्षी शिवशंकर, आरक्षी सौरभ यादव व आरक्षी अक्षय चौधरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

- **प्रभारी स्वाट टीम श्री अमर नाथ राय, प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव, मु0आरक्षी राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मु0आरक्षी जाहिद खान,** मु0आरक्षी पंकज दूबे, मु0आरक्षी महेन्द्र प्रताप, आरक्षी प्रवीण कुमार, आरक्षी अजय प्रकाश, आरक्षी अरविन्द दूबे, आरक्षी राजेन्द कुमार, आरक्षी जागिर सिंह, आरक्षी सत्यम यादव, **स्वाट/सर्विलांस टीम प्रतापगढ़।**

नोट– पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, परिक्षेत्र प्रयागराज महोदय द्वारा उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीम को 50,000/– रू के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–(थाना रानीगंज)

जनपद के थाना रानीगंज से उ0नि0 श्री हरीन्द्र कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के महोथरी चौराहे के पास से एक व्यक्ति संदीप सिंह पुत्र शिवमूरत सिंह नि0 रैनी सतखरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 544/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

संदीप सिंह पुत्र शिवमूरत सिंह नि0 रैनी सतखरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री हरीन्द्र कुमार यादव मय हमराह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

चोरी के विभिन्न सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–(थाना संग्रामगढ़)

जनपद के थाना संग्रामगढ़ से उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के रानीगंज कैथोला मार्ग से मु0अ0सं0 247/21 धारा 457, 380, 411 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त सतपाल पुत्र राम समुझ नि0 बाभन की बखरी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 01 किलो कापर तार, 02 अदद छोटी बैटरी, 01 अदद बांका (लोहे का), 01 छोटा सब्बल (लोहे का) बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

सतपाल पुत्र राम समुझ नि0 बाभन की बखरी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी–

01. चोरी का 01 किलो कापर तार, 02 अदद छोटी बैटरी, 01 अदद बांका (लोहे का), 01 छोटा सब्बल (लोहे का)।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव मय हमराह थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार (थाना महेशगंज)

जनपद प्रतापगढ़ के थाना महेशगंज से उ0नि0 श्री श्याम सुन्दरलाल श्रीवास्तव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के ग्राम कुशहा पश्चिम से थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 197/2021 धारा 147, 148, 149, 307, 308, 452, 427, 336, 504, 506 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता मीरा देवी उर्फ संध्या तिवारी पत्नी जयमूर्ति तिवारी नि0 ग्राम कुशहा पश्चिम थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 06.10.2021